न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 213
दायरा तिथि : 16.06.2022
आदेश तिथि : 30-09-22

प्रार्थी :–
कमोद राठौड पत्नी हठेसिंह भाटी जाति राजपूत
निवासी मीरा नगर भुवाणा गिर्वा उदयपुर

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. तहसीलदार बाली
2. अन्तरकंवर पत्नी जीवनसिंह रा0 राजपूत निवासी जीवदा तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 30-09-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम जीवदा (बाहरी) पटवार हल्का, सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 590, 591/1 रकबा 2.3400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी) पटवार हल्का, सेणा के खसरा नंबर 591/602 रकबा 0.3500 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व राजकीय सिवायचक भूमि मौजा जीवदा (बाहरी) के खसरा नंबर 575 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 591 रकबा 1.2000 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि मोजा सेणा के खसरा नंबर 266 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नंबर 272 रकबा 0. 8600 हैक्टर मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2592 दिनांक 13.09.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 590, 591/1 कुल रकबा 2.34 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि श्रीमती कमोद राठौड पत्नी हठेसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी मीरा नगर भुवाणा, गिर्वा उदयपुर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है व खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वर्तमान में उपरोक्त खसरों में से ही आवागमन करता है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (व.मी.)	नाम खातेदार
1	सेणा 266	0.45	गै.मु.मगरी	124X7=868	राजकीय सिवायचक
2	सेणा 272	0.86	गै.मु.	70X7=490	राजकीय सिवायचक
3	जीवदा 591/602	0.32	बा.सो.	10X7=70	अंतरकंवर पत्नी जीवनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सेणा
4	जीवदा 591/603	0.66	बा.सो.	70X7=490	राजकीय सिवायचक
5	जीवदा 591	1.20	बा.सो.	40X7=280	राजकीय सिवायचक
6	जीवदा 575	0.75	गै.मु. भाखर	32X7=224	राजकीय सिवायचक
				कुल रकबा 2422	

पेज लगातार 02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/213
अनवान कमोद राठौड बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेणा की डी.एल.सी. दर 89730/–रूपये व ग्राम जीवदा की डी.एल.सी. दर 102344/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी अंतरकवंर बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बावत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम जीवदा (बाहरी) पटवार हल्का, सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 590, 591/1 रकबा 2.3400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/2592 दिनांक 13.09.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम जीवदा (बाहरी) पटवार हल्का, सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 590, 591/1 रकबा 2.3400 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी) पटवार हल्का, सेणा के खसरा नंबर 591/602 रकबा 0.3500 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व राजकीय सिवायचक भूमि मौजा जीवदा (बाहरी) के खसरा नंबर 575 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 591 रकबा 1.2000 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि मोजा सेणा के खसरा नंबर 266 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नंबर 272 रकबा 0.8600 हैक्टर मेंसे **868+490+70+490+280+224=2422 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

ग्राम व ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर सेणा 89730/–रूपये व जीवदा 102344/–रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व. मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार
सेणा 266	0.45	124X7=868	9.00	7812X2=15624	राजकीय सिवायचक
सेणा 272	0.86	70X7=490	9.00	4410X2=8820	राजकीय सिवायचक
जीवदा 591/602	0.32	10X7=70	10.23	716X2=1432	अंतरकवर पत्नी जीवनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सेणा।
जीवदा 591/603	0.66	70X7=490	10.23	5013X2=10026	राजकीय सिवायचक
जीवदा 591	1.20	40X7=280	10.23	2865X2=5730	राजकीय सिवायचक
जीवदा 575	0.75	32X7=224	10.23	2292X2=4584	राजकीय सिवायचक
		कुल रकबा 2422		कुल राशि 46216	

पेज लगातार 03

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/213
अनवान कमोद राठौड बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **1432/– अक्षरे एक हजार चार सौ बत्तीस रूपये** मात्र आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी तथा **44784/–अक्षरे चवालीस हजार सात सौ चौरासी रूपये** राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नवशा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नवशा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 30-09-22

क्रमांक/कोर्ट/2022/3618-22
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती कमोद राठौड पत्नी हठेसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी मीरा नगर भुवाणा गिर्वा उदयपुर को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner